फूट

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

287/2017/225 छीतरराम V/S बनवारीलाल वगैरा

तारीख पेशी	2017/00287 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री विरेन्द्रसिंह खंगारोत, एडवोकेट श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
21.6.19	पत्रावली पेश। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील में बहस सुनी गई। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र में अंकित कारण एवं अभिभाषक के कथनों एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात अपील पर अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अपील व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा दिनांक 05.05.2016 को यह आदेश जारी किया कि ताफैसला दावा विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करे तथा किसी के भी हक में नामान्तकरण तस्दीक नहीं करे। अपीलांटस ने उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश की वजह से अपीलार्थी काश्तकार को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा हैं, कृषि ऋण नहीं ले पा रहा है जिससे प्रार्थी का अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.05.2016 वाद की बाहुल्यता नहीं बढ़े एवं पेचीदगियॉ नहीं बढ़े तथा विवादित आराजी के मौके की स्थिति परिवर्तित नहीं हो इस बाबत् न्याय संगत तो है लेकिन उन्होनें अप्रार्थीगण को सुने बिना व साक्ष्य लिये बिना ही प्रार्थना पत्र को दर्ज करते हुए **ताफैसला दावा विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करने के आदेश दिये है** जो विधि अनुकूल नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण/अपीलांटस ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है और शेष अप्रार्थीगण की तलबी होनी शेष है। यह अपील अन्तरित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं और अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे शेष अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड एड़ी से तलब कर, प्रकरण का इस आदेश से 30 दिवस में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण करे। **अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में शेष अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड एड़ी से तलब कर, पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए इस आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। जिससे अप्रार्थीगण को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिल सकें एवं कृषि ऋण आदि प्राप्त कर सकें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	